छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 505/2006</u>

1. श्री ताजूराम चन्द्रा, - अपीलार्थी
ग्राम-खर्री, पोस्ट-खेमडा,
तहसील-मालखरौदा,
जिला- जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी, - प्रतिअपीलार्थी
सरपंच, ग्राम-बेल्हाडीह, विकासखण्ड-मालखरौदा,
जिला- जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

//<u>आदेश</u>//

(दिनांक 08 अक्टूबर, 2007)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पूर्व में आयोग के आदेश दिनांक 03.01.2007 के द्वारा जन सूचना अधिकारी/सरपंच, ग्राम पंचायत-बेल्हाडीह को यह निर्देश दिये गये थे कि शेष योजनाओं की जानकारी 15 दिवस में नि:शुल्क प्रदान की जावे तथा क्षतिपूर्ति के रूप में राशि 250/- रूपये अपीलार्थी को प्रदाय की जावे । अपीलार्थी द्वारा दिनांक 21.03.2007 को यह आवेदन प्रस्तुत किया कि उन्हें अभी-तक कोई जानकारी प्रदान नहीं की गई है । तत्पश्चात् जन सूचना अधिकारी सरपंच, ग्राम पंचायत, बेल्हाडीह, विकासखण्ड, मालखरौदा, जिला- जांजगीर चांपा को दिनांक 21.05.2007 को अधिनियम की धारा-20(1) के अन्तर्गत राशि दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया, किन्तु उनके अनुपस्थित होने पर उन्हें अंतिम नोटिस दिनांक 27.09.2007 को उपस्थिति के लिए भेजा गया तथा उक्त दिनांक को प्रति अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । अत: उनके विरूद्ध एक-तरफा कार्यवाही की जाकर अपीलार्थी की सुनवाई की गई और रिकार्ड का अवलोकन किया गया ।

2/ प्रति अपीलार्थी सरपंच द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है और अपीलार्थी द्वारा सुनवाई में यह बताया कि उन्हें जानकारी भी नहीं दी तथा क्षतिपूर्ति की राशि भी प्रदाय नहीं दी गई है । अत: उपरोक्त स्थिति में अपीलार्थी के तर्को को

स्वीकार किया किया जाता है, किन्तु प्रति अपीलार्थी द्वारा पूर्व में ही अधिकांश जानकारी प्रदाय की जा चुकी है, अतः प्रकरण में उदार रूख अपनाते हुए प्रति अपीलार्थी सरपंच, ग्राम पंचायत, बेल्हाडीह,

विकासखण्ड, मालखरौदा, जिला- जांजगीरचांपा पर अधिनियम की धारा-20(1) के अन्तर्गत राशि 2000/- रूपये शास्ति आरोपित की जाती है । साथ ही यह निर्देश दिये जाते हैं कि अब शेष समस्त जानकारी 15 दिवस में निःशुल्क प्रदाय की जावे और मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मालखरौदा, जिला-जांजगीर चांपा यह सुनिश्चित करे कि जानकारी तथा आदेशित क्षतिपूर्ति की राशि 15 दिवस में ग्राम पंचायत की ओर से प्रदान करा दी जावे ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त